कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष-05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-299/2023 दिनांक-16.09.2023

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- कोतवाली

किशोरी को भगाने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

1-पूर्व की घटना/इतिहास– वादिनी मुकदमा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र जिसमें दिनांक 21.2.2023 को समय 1.30 बजे दोपहर में रोडवेज पर स्टैण्ड पर सरवन सिंह पुत्र प्रभु सिंह निवासी ग्राम बिच्छी बांध पोस्ट अमाव विराव करमचट भभुआ बिहार द्वारा वादिनी की पुत्री उम्र लगभग 16 वर्ष को पानी पिलाने के बहाने कहीं लेकर भाग जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ जिसके आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 402/23 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण– उ0नि0 रामकिशोर शर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सरवन सिंह पुत्र प्रभु सिंह निवासी ग्राम बिच्छी बांध पोस्ट अमाव विराव करमचट भभुआ बिहार उम्र 26 वर्ष को दिनांक 16.9.23 को समय 12.30 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सरवन सिंह पुत्र प्रभु सिंह निवासी ग्राम बिच्छी बांध पोस्ट अमाव विराव करमचट भभुआ बिहार उम्र 26 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 402/23 धारा 363/368/328/354 भादवि व 7 /8 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

01. उ0नि0 रामकिशोर शर्मा, मय हमराह थाना कोतवाली आजमगढ़ ।

थाना अतरौलिया

हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व का विवरण- दिनांक 21.08.2017 को अभियुक्त दीपक वर्मा पुत्र प्रकाश वर्मा निवासी परमेश्वरपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ अपने अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिल कर मुकदमा वादी व उसके साथी को गाली गुप्ता देते हुए मारपीट किया गया तथा पिस्टल सटा कर आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक 21.08.2017 को मु0अ0सं0 193/17 धारा 323/504/506/307/352 भा0द0वि0 बनाम 1. लालू यादव पुत्र दीनानाथ यादव निवासी कटोही थाना अतरौलिया 2. राजाबाबू पुत्र फतेहबहादुर निवासी हैदरपुर थाना अतरौलिया 3. दीपक वर्मा पुत्र प्रकाश वर्मा निवासी परमेश्वरपुर थाना अतरौलिया 4. सादिक पुत्र असगर निवासी अतरौलिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में आंशिक विवेचना अभियुक्त दीपक वर्मा पुत्र प्रकाश वर्मा निवासी परमेश्वरपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध उ0नि0 धीरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरणः- आज दिनांक 16.09.2023 को उ0नि0 धीरेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दीपक वर्मा पुत्र प्रकाश वर्मा निवासी परमेश्वरपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को पावर हाउस अतरौलिया के पास से समय 08.00 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग- 1. मु0अ0सं0 193/17 धारा 323/504/506/307/352 IPC थाना अतरौलिया आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त– 1. दीपक वर्मा पुत्र प्रकाश वर्मा निवासी परमेश्वरपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. उ0नि0 धीरेन्द्र बहादुर सिंह 2. का0 महेश सरोज थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

थाना – अहरौला

पिकअप में लदे 06 राशि गोवंश के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 16.09.2023 को उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान दुबेपुर अण्डर पास सिक्स लेन के पास एक पिकअप वाहन में कुछ गोवंशीय पशुओ को क्रुरता पूर्वक लाद कर फुलवरिया अण्डर पास से जाते समय समय करीब 05.00 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया गया। पकड़ लिया। बाद गिरफ्तारी अभियुक्तगणों का मा0 न्याया0 किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

1-मु0अ0सं0 300/2023 धारा 3/5ए/8 गो0 निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रू0 निवा0 अधि0 थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

1. दिलशाद उर्फ दिलशान पुत्र सगीर अहमद निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष
2. अनीस पुत्र मल्हू निवासी बहरौली थाना लम्भूआ जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 22 वर्ष
3. वीरेन्द्र यादव पुत्र श्रीराम यादव निवासी बसही थाना असरफपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष

बरामदगी:-

1- 06 राशी गोवंश (चार बछडे व दो गाय बछिया) व 1 अदद पिकप रजि0 नं0 UP50 CT 4845 तथा 03 अदद मोबाइल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री लाल बहादुर बिन्द मय हमराह थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

थाना- निजामाबाद

लोक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर साम्प्रादायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले अभियुक्त के विरूद्ध रा0सु0का0 (NSA) की कार्यवाही

श्रावण मास व मोहर्रम त्यौहार के दौरान दिनांक- 22.07.2023 को रात्रि 21.00 बजे अमित सोनकर अपने अन्य साथियों के साथ दुकान बन्द करके अपने घर जा रहा था कि साम्प्रदायिक सौहार्द भंग करने के उद्देश्य से अभियुक्त मो0 शाहआलम उर्फ शहबाज पुत्र हारुन निवासी मोहल्ला तिग्गीपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ अपने अन्य साथीयों के साथ तिग्गीपुर इमाम बाडा के पास अमित सोनकर व उसके साथियों को योजनाबद्ध तरीके से गाड़ाबन्दी करके जान से मारने की नियत से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये लाठी डंण्डा व पंच से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिये जिससे त्यौहार के मध्य दो समुदायों के बीच तनाव व्याप्त हो गया था तथा कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गयी थी जिसे सामान्य करने के लिये कस्बा निजामाबाद में लगातार 15 दिनों तक भारी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बलो का व्यवस्थापन करना पड़ा। उक्त घटना के सम्बन्ध में घायल अमित सोनकर के पिता के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना निजामाबाद पर मु0अ0स0- 327/23 धारा-307,323,352,504,34 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध,3(2)V एस0सी0/एस0टी0 एक्ट बनाम शाह आलम उर्फ शहबाज समेत 07 नामजद तथा 15-20 व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्त मो0 शाहआलम उर्फ शहबाज पुत्र हारुन निवासी मोहल्ला तिग्गीपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को लेकर आस पास के लोगों मे इस प्रकार भय ब्याप्त है कि लोग इसके विरुद्ध शिकायत करने से डरते है जिस कारण अभियुक्त के जमानत पर छूटने पर शांति व्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना के मद्देनजर थानाध्यक्ष थाना निजामाबाद की रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के पत्र के आधार पर दिनांक- 15.09.2023 को जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त मो0 शाहआलम उर्फ शहबाज पुत्र हारुन निवासी तिग्गीपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) के तहत निरूद्धीकरण की कार्यवाही की गई ।